भारत सरकार और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की सरकार के बीच हवाई सेवाओं से संबंधित समझौता

भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार, जिन्हें इसके बाद संविदाकारी पक्ष के रूप में वर्णित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय (जिसे इसके बाद अभिसमय के रूप में संदर्भित किया गया है) और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पारगमन समझौते के पक्षकार हैं, दोनों पर हस्ताक्षर के लिए सात दिसंबर, 1944 को शिकागो में खोले गए हैं, और अपने संबंधित क्षेत्रों के बीच हवाई सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से एक समझौते को संपन्न करने की इच्छा रखते हैं, निम्नलिखित के रूप में सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

(i) "कन्वेंशन" से आशय शिकागो में 7 दिसंबर, 1944 को हस्ताक्षर हेतु खोले गए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेंशन से है, तथा इसमें कन्वेंशन के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत किए गए किसी संशोधन को भी शामिल किया गया है;

(ii) "वैमानिकी प्राधिकरण" शब्द का आशय भारत के मामले में नागर विमानन महानिदेशक और/या उक्त महानिदेशक द्वारा वर्तमान में किए जा रहे किसी कार्य को संपादित करने हेतु प्राधिकृत किसी प्राधिकरण/व्यक्ति या निकाय से है, तथा पाकिस्तान के मामले में नागर विमानन महानिदेशक और/या उक्त महानिदेशक द्वारा वर्तमान में किए जा रहे किसी कार्य को संपादित करने हेतु प्राधिकृत किसी प्राधिकरण/व्यक्ति या निकाय से है;

(iii) किसी राज्य के संबंध में "क्षेत्र" शब्द का वही अर्थ है जो कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में इसे दिया गया है;

(iv) "हवाई सेवाएं", "अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं", "एयरलाइन" और "गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु ठहराव" शब्दों के वही अर्थ हैं जो कन्वेंशन के अनुच्छेद 96 में क्रमशः इन्हें दिए गए हैं;

(v) "नामित एयरलाइन" शब्द का आशय ऐसी एयरलाइन से है जिसे एक संविदाकारी पक्ष ने इस समझौते के अनुच्छेद 4 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित सूचना द्वारा नामित किया हो;

(vi) किसी विमान के संबंध में "क्षमता" शब्द का आशय किसी मार्ग या मार्ग के खंड पर उपलब्ध उस विमान के पेलोड से है;

(vii) 'सहमत सेवा' के संबंध में "क्षमता" शब्द का आशय ऐसी सेवा पर उपयोग किए गए विमान की क्षमता से है, जिसे किसी दिए गए अवधि और मार्ग या मार्ग के खंड पर ऐसे विमान द्वारा संचालित आवृत्ति से गुणा किया गया हो; तथा

(viii) "यातायात वहन" शब्द का आशय यात्रियों, माल और डाक के वहन से है।

अनुच्छेद 2

इस समझौते के उपबंध, अभिसमय तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पारगमन समझौते के उन उपबंधों के अधीन होंगे, जो अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू होते हैं।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस समझौते के अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की स्थापना और संचालन के प्रयोजन हेतु इस समझौते में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है। ऐसी सेवाओं और मार्गों को क्रमशः इसके पश्चात "सहमत सेवाएं" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को किसी विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा का संचालन करते समय, इस समझौते के अनुबंध में निहित उपबंधों के अधीन, विनिर्दिष्ट मार्गों पर किसी भी बिंदु पर यात्रियों, माल और डाक को लेने और उतारने का अधिकार प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 4

(क) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के संचालन के प्रयोजन हेतु एक एयरलाइन नामित करने का अधिकार होगा। यह नामांकन एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(ख) सूचना प्राप्त होने पर, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के खंड (ग) और (घ) के उपबंधों के अधीन, नामित एयरलाइन को समुचित परिचालन प्राधिकरण प्रदान करेगा।

(ग) एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन से यह संतुष्ट होने की अपेक्षा कर सकते हैं कि वह ऐसे प्राधिकरणों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संचालन पर सामान्यतः और उचित रूप से लागू विधियों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य है।

(घ) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को किसी भी ऐसे मामले में, जहां संबंधित संविदाकारी पक्ष इस बात से संतुष्ट न हो कि उस एयरलाइन का सारभूत स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिकों में निहित है, किसी एयरलाइन के नामांकन को स्वीकार करने से इनकार करने या इस अनुच्छेद के खंड (ख) में उल्लिखित परिचालन प्राधिकरण प्रदान करने से इनकार करने, अथवा इस समझौते के अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारों के नामित एयरलाइन द्वारा प्रयोग पर ऐसी शर्तें अधिरोपित करने का अधिकार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(ङ) जब किसी एयरलाइन को इस अनुच्छेद के खंड (ख) के अंतर्गत इस प्रकार नामित और प्राधिकृत कर दिया गया हो, तो वह किसी भी समय सहमत सेवाओं का संचालन प्रारंभ कर सकती है, बशर्ते कि इस समझौते के अनुच्छेद 10 के उपबंधों का पालन किया गया हो।

अनुच्छेद 5

(क) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन द्वारा इस समझौते के अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग के संबंध में परिचालन प्राधिकरण को रद्द करने या उसके प्रयोग को निलंबित करने, अथवा इन अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें अधिरोपित करने का अधिकार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझे:-

(i) किसी भी ऐसे मामले में जहां वह इस बात से संतुष्ट न हो कि उस एयरलाइन का सारभूत स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या ऐसे संविदाकारी पक्ष के नागरिकों में निहित है; अथवा

(ii) उस एयरलाइन द्वारा ये अधिकार प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में; अथवा

(iii) उस स्थिति में जब एयरलाइन अन्यथा इस समझौते के उपबंधों का पालन करने में विफल रहती है।

(ख) जब तक इस अनुच्छेद के खंड (क) में उल्लिखित रद्दीकरण, निलंबन या शर्तों के अधिरोपण हेतु तत्काल कार्रवाई विधियों और विनियमों के आगे उल्लंघनों को रोकने के लिए आवश्यक न हो, ऐसा अधिकार प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श के बाद ही प्रयोग किया जाएगा।

अनुच्छेद 6

(क) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के विधि और विनियम, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के विमान के दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश, ठहराव, प्रस्थान और उसके ऊपर से उड़ान के दौरान नौवहन और संचालन पर लागू होंगे।

(ख) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के कानून और विनियम, जो उसके क्षेत्र से यात्रियों, चालक दल और माल के आगमन या प्रस्थान से संबंधित हैं, विशेष रूप से पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा और स्वास्थ्य तथा संगरोध औपचारिकताओं से संबंधित विनियम, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के विमान में उस संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में आने वाले या वहां से प्रस्थान करने वाले यात्रियों, चालक दल और माल पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

(क) दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों को अपने संबंधित क्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का संचालन करने का उचित और समान अवसर प्राप्त होगा।

(ख) सहमत सेवाओं का संचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि उस सेवा को अनुचित रूप से प्रभावित न किया जाए जो बाद वाली एयरलाइन उसी मार्ग के संपूर्ण या किसी भाग पर प्रदान करती है।

(ग) उन सहमत सेवाओं के संबंध में जिन पर यातायात अधिकारों का प्रयोग अनुच्छेद 3 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में किया जाना है, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :-

(i) प्रदान की जाने वाली क्षमता और संचालित सेवाओं की आवृत्ति इस अनुच्छेद के खंड (क) और (ख) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरणों के बीच सहमति से तय की जाएगी।

(ii) किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता या संचालित सेवाओं की आवृत्ति में किसी भी वृद्धि पर, दोनों पक्षों के क्षेत्रों के बीच यातायात की अनुमानित आवश्यकताओं तथा संयुक्त रूप से सहमत और निर्धारित की जाने वाली किसी अन्य यातायात के आधार पर वैमानिकी प्राधिकरणों के बीच सहमति होगी। ऐसी सहमति या निपटारे के लंबित रहने तक, पहले से प्रभावी क्षमता और आवृत्ति अधिकार यथावत बने रहेंगे।

(iii) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार सहमत की गई प्रदान की जाने वाली क्षमता, संचालित सेवाओं की आवृत्ति को संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरणों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुच्छेद 8

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन, विनिर्दिष्ट मार्गों पर सेवाओं के उद्घाटन से कम से कम तीस दिन पूर्व, प्रयोग किए जाने वाले विमान के प्रकारों सहित उड़ान अनुसूचियों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। यह बाद के परिवर्तनों पर भी समान रूप से लागू होगा। विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकरणों की सहमति के अधीन, यह समय-सीमा घटाई जा सकती है।

अनुच्छेद 9

(क) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपनी नामित एयरलाइन से यह सुनिश्चित कराएगा कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों को, यथासंभव अग्रिम रूप से, टैरिफ, अनुसूचियों की प्रतियां, उनमें किए गए किसी संशोधन सहित, तथा सहमत सेवाओं के संचालन से संबंधित अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराए, जिसमें प्रत्येक विनिर्दिष्ट मार्ग पर प्रदान की गई क्षमता के बारे में जानकारी तथा दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों को यह संतुष्ट करने हेतु आवश्यक कोई भी अन्य जानकारी शामिल है कि इस समझौते की आवश्यकताओं का समुचित रूप से पालन किया जा रहा है।

(ख) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपनी नामित एयरलाइन से यह भी सुनिश्चित कराएगा कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों को सहमत सेवाओं पर वहन किए गए यातायात से संबंधित सांख्यिकी, उद्गम और गंतव्य के बिंदुओं को दर्शाते हुए, उपलब्ध कराए।

अनुच्छेद 10

(क) निम्नलिखित खंडों के प्रयोजन हेतु, "टैरिफ" शब्द का आशय यात्रियों और माल के वहन हेतु भुगतान की जाने वाली कीमतों तथा उन शर्तों से है जिनके अंतर्गत वे कीमतें लागू होती हैं, जिसमें एजेंसी और अन्य सहायक सेवाओं हेतु कमीशन और शर्तें शामिल हैं, किंतु डाक के वहन हेतु पारिश्रमिक और शर्तें शामिल नहीं हैं।

(ख) एक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र से या उसके क्षेत्र को वहन हेतु प्रभारित किया जाने वाला टैरिफ उचित स्तरों पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें परिचालन की लागत, उचित लाभ, और अन्य एयरलाइनों के टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को समुचित ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) इस अनुच्छेद के खंड (ख) में निर्दिष्ट टैरिफ, यदि संभव हो, तो दोनों संविदाकारी पक्षों की संबंधित नामित एयरलाइनों द्वारा, संपूर्ण मार्ग या उसके किसी भाग पर परिचालन करने वाली अन्य एयरलाइनों के साथ परामर्श के बाद सहमति से तय किया जाएगा, तथा ऐसी सहमति, जहां तक संभव हो, टैरिफ निर्धारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की प्रक्रियाओं के उपयोग से प्राप्त की जाएगी।

(घ) इस प्रकार सहमत टैरिफ, उनके प्रवर्तन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम नब्बे (90) दिन पूर्व, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरणों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। विशेष मामलों में, संबंधित प्राधिकरणों की सहमति के अधीन, यह अवधि घटाई जा सकती है।

(ङ) यह अनुमोदन अभिव्यक्त रूप से दिया जा सकता है। यदि दोनों में से किसी वैमानिकी प्राधिकरण ने इस अनुच्छेद के खंड (घ) के अनुसार प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर अस्वीकृति व्यक्त नहीं की है, तो इन टैरिफ को अनुमोदित माना जाएगा। खंड (घ) में उपबंधित प्रस्तुतीकरण की अवधि घटाए जाने की स्थिति में, वैमानिकी प्राधिकरण यह सहमति दे सकते हैं कि जिस अवधि के भीतर कोई अस्वीकृति सूचित की जानी चाहिए वह तीस (30) दिनों से कम होगी।

(च) यदि कोई टैरिफ खंड (ग) के अनुसार सहमति से तय नहीं हो पाता, या यदि इस अनुच्छेद के खंड (ङ) के अनुसार लागू अवधि के दौरान, एक वैमानिकी प्राधिकरण दूसरे वैमानिकी प्राधिकरण को खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार सहमत टैरिफ की अपनी अस्वीकृति की सूचना देता है, तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरण पारस्परिक सहमति से टैरिफ का निर्धारण करने का प्रयास करेंगे।

(छ) यदि वैमानिकी प्राधिकरण इस अनुच्छेद के खंड (घ) के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किसी टैरिफ पर, अथवा खंड (च) के अंतर्गत किसी टैरिफ के निर्धारण पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो मामला संविदाकारी पक्षों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ज) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार स्थापित टैरिफ तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कोई नया टैरिफ स्थापित नहीं किया जाता।

अनुच्छेद 11

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन को, यात्रियों, डाक और माल के वहन के संबंध में प्रथम संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में एयरलाइन द्वारा अर्जित व्यय पर आय की अधिशेष राशि के अंतरण का अधिकार, प्रवर्तनशील विदेशी विनिमय विनियमों के अनुसार प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 12

(क) ईंधन, लुब्रिकेंट तेल, कल-पुर्जे, नियमित विमान उपस्कर और विमान भंडार (खाद्य, पेय पदार्थ और तंबाकू सहित) जो एक संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में लाए गए हों या उस क्षेत्र में किसी विमान पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष या उसकी नामित एयरलाइन द्वारा या उसकी ओर से चढ़ाए गए हों, तथा जो विशेष रूप से उस एयरलाइन के विमान द्वारा या उसमें उपयोग हेतु आशयित हों, उन्हें प्रथम संविदाकारी पक्ष द्वारा सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य समान राष्ट्रीय या स्थानीय शुल्कों और प्रभारों के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संचालन में संलग्न अपनी राष्ट्रीय एयरलाइनों को प्रदत्त व्यवहार से कम अनुकूल व्यवहार प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ख) एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर रखे गए ईंधन, लुब्रिकेंट तेल, कल-पुर्जे, नियमित विमान उपस्कर और विमान भंडार (खाद्य, पेय पदार्थ और तंबाकू सहित) की आपूर्ति, दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क या समान शुल्कों या प्रभारों से मुक्त होगी, भले ही ऐसी आपूर्तियों का उपयोग उस क्षेत्र में उड़ानों पर उस विमान द्वारा किया जाए। इस प्रकार छूट प्राप्त वस्तुओं को केवल दूसरे संविदाकारी पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकरणों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकता है। जो वस्तुएं पुनः निर्यात की जानी हैं, उन्हें सीमा शुल्क निगरानी के अंतर्गत पुनः निर्यात होने तक अपने पास रखा जाएगा।

अनुच्छेद 13

(क) घनिष्ठ सहयोग की भावना से, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरण, इस समझौते और अनुबंध के उपबंधों के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय-समय पर एक-दूसरे से परामर्श करेंगे।

(ख) कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ लिखित रूप में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभ होगा।

(ग) यदि किसी संविदाकारी पक्ष को अनुबंध सहित इस समझौते के किसी उपबंध में संशोधन करना वांछनीय प्रतीत होता है, तो ऐसा संशोधन, यदि संविदाकारी पक्षों के बीच सहमति हो और यदि आवश्यक हो तो इस अनुच्छेद के अनुसार परामर्श के पश्चात, राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि किए जाने पर प्रभावी होगा। हालांकि यदि संशोधन केवल अनुबंध से संबंधित है, तो परामर्श दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरणों के बीच होगा। जब ये प्राधिकरण किसी संशोधन पर सहमत होते हैं, तो सहमत संशोधन राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान के माध्यम से पुष्टि के पश्चात प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद 14

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस समझौते को समाप्त करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना एक साथ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी संसूचित की जाएगी। यह समझौता, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा सूचना की प्राप्ति की तिथि के एक वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचना वापस न ले ली जाए। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति की पावती के अभाव में, सूचना को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त होने के चौदह दिन बाद प्राप्त हुआ माना जाएगा।

अनुच्छेद 15

वायु परिवहन से संबंधित किसी बहुपक्षीय कन्वेंशन या समझौते के संपन्न होने की स्थिति में, जिसका दोनों संविदाकारी पक्ष पालन करते हों, इस समझौते को ऐसे अभिसमय या समझौते के उपबंधों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।

अनुच्छेद 16

यह समझौता और इसमें किया गया कोई भी संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ पंजीकृत किया जाएगा।

अनुच्छेद 17

यह समझौता प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होने के पश्चात 20 जुलाई, 1976 को प्रभावी होगा।

साक्ष्य स्वरूप, अधोहस्ताक्षरी पूर्णाधिकारियों ने, अपनी-अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत प्राधिकृत होकर, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता उन्नीस सौ छिहत्तर (1976) के जुलाई माह की सोलहवीं तारीख को रावलपिंडी में अंग्रेजी भाषा में दो प्रतियों में संपन्न हुआ।

(ए.एस. भटनागर)
संयुक्त सचिव (पर्यटन और नागर विमानन)
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

(मोहसिन कमाल)
संयुक्त सचिव (विमानन)
पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की सरकार की ओर से

अनुबंध

अनुसूची I

पाकिस्तान की नामित एयरलाइन द्वारा संचालित किए जाने वाले मार्ग:-

से	**तक**
अ. कराची	दिल्ली
ब. कराची	बंबई
स. लाहौर	दिल्ली

अनुसूची II

भारत की नामित एयरलाइन द्वारा संचालित किए जाने वाले मार्ग:-

से	**तक**
अ. दिल्ली	कराची
ब. बंबई	कराची
स. दिल्ली	लाहौर